

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
शिल संख्या:- 576/2024 निर्णय दिनांक :- 22/10/24

उनवानी दावा :

राजेश राम राजाराम बनाम तहसीलदार.....रवी.....

उपस्थिति :-

राजीव

तहसीलदार देवली / दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प देवली में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रवी को अपना नाम वाके ग्राम खरोड़ जमाबंदी सम्वत् 2011-74 के खाता संख्या 80 में दर्ज राजेश राम राजाराम पुत्र राजेश राम के स्थान पर राजेश राम राजाराम पुत्र राजेश राम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार रवी ने पटवार हल्का देवली व भू0अ0नि0 रवी की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार रवी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रवी को वाके ग्राम खरोड़ जमाबंदी सम्वत् 2011-74 के खाता संख्या 80 में दर्ज राजेश राम राजाराम पुत्र राजेश राम के स्थान पर राजेश राम राजाराम पुत्र राजेश राम दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दपतर हो।

निर्णय खुल न्यायालय कैम्प देवली में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली